उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा [7] अनुभाग

पत्र संख्या- 2514/15-7-97-16[20]/97

लखनऊ : दिनांक : 28 जून, 1997.

प्रबन्धक, सेन्ट जान्स स्कूल, फिरोजाबाद

सेन्ट जान्स स्कूल, फिरोजाबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या- 1033/15-7-16 [20]/97, दिनांक 5 मई, 1997 में जारी किया गया है । उक्त की प्रमाणित प्रति सूचनार्थ प्रेषित है ।

संलग्नक- यथोपरि ।

(अशोक गांगुली)

संयुक्त सचिव ।

Manager
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203

Principal
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203

संख्या- 1033/15-7-16(20)/97.

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 5 मई, 1997.

विषय:- सेन्ट जोन्स स्कूल, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

==

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट जान्स, स्कूल, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4)- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5)-

Manager
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203

Principal
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203

I

15।- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें ।

16।- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें ।

17।- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।

18।- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19।- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि सोसायटी के बाइलाज में प्रतिबन्धों को समावेश में नवें बिन्दु "प्रतिबन्ध । से 8 तक में शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन संशोधन नहीं किया जायगा" का समावेश करते हुए अधिकृत प्रति शासन को तीन माह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

ह0/- अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव ।

Manager
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203

संख्या- 1033।।।/15-7-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
5- प्रबन्धक, सेन्ट जोन्स स्कूल, फिरोजाबाद ।

आज्ञा से,
ह0/- अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।

प्रमाणित
(ब्रह्म दयाल)
अनुभाग अधिकारी
अनुभाग (7)
सचिवालय, लखनऊ

Principal
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203

CONDITIONS FOR COMPOSITE PROVISIONAL AFFILIATION/UPGRADATION to PLUS TWO STAGE.

1. Qualified TGTs/Librarian be appointed in all subjects before starting Secondary classes in the school under intimation to this office.

2. 5-6 names of persons not below the rank of Principal of Sr. Sec. School affiliated with the Board be recommended so that two of them may be approved by the Board as its nominee in the School Managing Committee.

3. The rate of DA may please be enhanced and the pay-scales and allowances of the staff be revised from time to time to keep them at par with the approved rates of the State Govt.

4. The service conditions be strictly followed as per State Education Act and staff be given appointment/confirmation letters etc. accordingly.

5. A sum of Rs.60,000/- be deposited in the joint names of the Chairman, CBSE and the school authorities and a photo-copy of the F.D.R. be supplied to this office.

6. The school will not open/continue with any branch of the school without permission.

7. The school will not add additional subjects in the school without permission.

8. The adequate number of PGTs i.e. 1-5 per section be appointed/ promoted within 3 months.

9. Rs.15,000/- more be remitted as the fee for the purpose is Rs.20,000/-.
Rs 5000/- more be remitted.

10. The school management committee may please be reconstituted as per Bye-laws.

11. The number of students in the section be restricted to 40.

12. Game/Sport facilities be improved.

13. Re-orientation courses be organised for teachers for faculty improvement.

14. Sincere efforts be made for considerable improvement in the enrolement of the school to have reasonable No. of students in a section.

A compliance report of above points be submitted within 03 months, with documentary evidences.

11/9/99
RAJESHWAR SHARMA
Sec. Desk Officer
Central Board of Secondary Education
DELHI

(RAJESHWAR SHARMA)
SECTION OFFICER(AFFLN)

Manager
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203

Principal
St. John's School
Agra Road, Firozabad
UP-283203